जुर्माने की आड़ में अपनी जेब गर्म कर रहे निगमकर्मी

स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार रिसायकलेबल पॉलिथीन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। पॉलिथीन पैकिंग में सामान बेचने वाली कंपनियों को 120 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन इस्तेमाल करने और दोबारा खरीद कर इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही कारण है कि अधिकतर कंपनियां पैकिंग पर पॉलिथीन की माइक्रॉन में मोटाई, रिसायकलेबल होने और 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाय बैक करने की सूचना प्रकाशित कर रही हैं। सब्जी या किराना की पैकिंग के लिए मिलने वाले पालिथीन कैरी बैग एक तो मानक से कम माइक्रॉन के यानी पतले होने और इसी कारण सिंगल यूज प्लास्टिक होने की वजह से प्रतिबंधित किए गए हैं। इनके जलाने पर निकलने वाले बिस-फिनोल सहित अन्य जहरीले यौगिक व हाइड्रोकार्बन वातावरण को दूषित करते हैं।

शेखर दास

फ़रीदाबाद। स्वच्छता रैंकिंग के लिए शहर की समीक्षा शुरू होते ही नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग की बिक्री रोकने में 'जी-जान' से जुटा हुआ है। रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए रेहड़ी-पटरी के दुकानदार पर चालान और जुर्मानें की गाज गिराई जा रही है। चालान के बहाने छापा मार टीम के सदस्य अपनी जेबें भी गर्म करने में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही निर्मल भारत मिशन का नाम स्वच्छ भारत मिशन कर वाहवाही बटोरने के लिए कई योजनाओं का ढिंढोरा पीटा था। इनमें स्मार्ट सिटी की स्वच्छता रैंकिंग का पाखंड भी शामिल था। स्वच्छता रैंकिंग के लिए नवंबर के अंत में ऑडिट होती है। इसीलिए नगर निगम की टीमें नवंबर में प्रतिबंधित पॉलिथीन, आवारा पशु, नालों की सफाई, खुले में शौच आदि की रोकथाम का ड्रामा करती हैं। चालान का रिकॉर्ड पूरा करने के लिए इस बार प्रतिबंधित पॉलिथीन को पकड़ने और जुर्माना वसूलने के लिए 40 टीमें लगाई गई हैं।

बीते बृहस्पतिवार को निगम के एएसआई सुभाषचंद्र अपनी टीम के साथ एनएच पांच स्थित सब्जीमंडी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रतिबंधित मोटाई के पॉलिथीन कैरीबैग रखने वाले दुकानदारों के चालान काट कर जुर्माना वसूल किया। अधिकतर दुकानदारों का ऑनलाइन चालान काट कर न्यूनतम पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। ऑनलइन चालान होने के कारण पॉलिथीन के नाम पर अवैध कमाई तो वसूल नहीं सकते थे तो कुछ लोगों ने इन दुकानदारों के तराजू-बांट कब्जे में लेने शुरू किए। जब टीमें लौटने लगीं तो दुकानदारों से 300 से 500 रुपये तक सुविधा शुल्क वसूल कर उनके तराजू बांट लौटा दिए गए। तराजू -बांट के बारे में सवाल करने पर सुभाषचंद साफ मुकर गए बोले कि जिन्होंने ये काम किया वे उनकी टीम के सदस्य नहीं थे। उनसे पूछा गया कि दुकानदारों की जगह प्रतिबंधित मोटाई की पॉलिथीन बनाने वाली फैक्टरियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते तो मासूमियत से बोले कि उन्हें फैक्टरियों की जानकारी नहीं है, यदि कोई सूचना देगा तो कार्रवाई जरूर करेंगे। दरअसल, एएसआई भी लूट कमाई और औपचारिकता ही पूरी करते हैं। यदि वह गंभीर होते तो जिन दुकानदारों का चालान किया है उनसे पूछ कर पॉलिथीन थोक में बेचने वाले और उसके जरिए बनाने वाली फैक्टरी तक पहुंच जाते। ऐसा, इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि ये फैक्टरियां इन्ही अधिकारियों को मोटा सुविधा शुल्क चुका कर चलाई जा रही हैं।

स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 120 माइक्रॉन से पतली पॉलिथीन कैरीबैग के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। दूध, पान-मसाले, बिस्कुट-नमकीन की पॉलिथीन पैकिंग पर कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है, उनकी जांच और कार्रवाई एफएसएसएआई विभाग करता है। निगम केवल पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतिबंधित मानक के खुले पॉलिथीन कैरीबैग पर कार्रवाई कर सकता है।

नगर निगम-ईकोग्रीन की नूराकुश्ती में कचरा हो रहा शहर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शहर में चौक चौराहों पर कूड़े-कचरे का अंबार बढ़ता जा रहा है और सफाई की जिम्मेदार नगर निगम व ईकोग्रीन के बीच नूरा कुश्ती जारी है। नगर निगम कार्रवाई के नाम पर ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी का पाखंड कर रहा है तो ईकोग्रीन प्रबंधन दिन में दो बार कूड़ा उठाने के जुबानी दावे कर रहा हैं। इन सबके बीच आम जनता कूड़े के सड़ते ढेरों से उठने वाली बदबू और बीमारी फैलाने वाली कीटाणुओं से जूझने को मजबूर है।

स्वदेशी का राग अलापने वाली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर ने चीन की कंपनी ईकोग्रीन को फरीदाबाद-गुड़गांव में घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने और इस कूड़े का उपयोग कर बिजली बनाने का लाइसेंस करीब नौ साल पहले दिया था। कूड़े को बंधवाड़ी प्लांट तक पहुंचाने और बिजली बनाने के लिए सरकार द्वारा कंपनी को एक हजार रुपये प्रति टन की दर से भुगतान किया जाना था। इसके अलावा कंपनी घर-घर, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी कूड़ा उठाने का शुल्क वसूलती है। ईकोग्रीन कंपनी के आने से पहले जनता को यह सुविधा मुफ्त ही उपलब्ध थी और शहर में कूड़ा कचरा इस तरह नहीं दिखता था जिस तरह वर्तमान में हर चौक चौराहे और गलियों के नुक्कड़ पर दिखता है।

सरकार की ही तरह ईकोग्रीन कंपनी ने भी काम तो नहीं किया लेकिन काम का ढिंढोरा पीटने का ड्रामा कर अधिकारियों की मिलीभगत से लूट कमाई की। इस दौरान नौ साल में शहर की सफाई व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। फ्लॉप हो रही ईकोग्रीन को बचाने के लिए सरकार के इशारे पर नगर निगम प्रशासन ने अपने संसाधन, ट्रैक्टर और चालक आदि भी उपलब्ध कराने का खेल किया। सरकार की गोदी में बैठे कंपनी प्रबंधन ने कभी भी संसाधन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। अब चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे में शहर में कूड़े के बढ़ते ढेरों से सरकार की फजीहत हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईकोग्रीन कंपनी पर कार्रवाई करने का पाखंड कर रही है। इसी पाखंड के तहत स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने कंपनी पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी जारी कर जनता को संदेश दिया गया कि सरकार कठोर है। कंपनी प्रबंधन भी सरकार की तरह बड़े बड़े दावे कर जनता को वरगला रहा है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार फरीदाबाद में अब खत्तों से दिन में दो बार कूड़ा उठाया जाएगा ताकि जरा भी गंदगी न रहे, इसके लिए कंपनी नए पांच हाइवा खरीदेगी। स्थानीय शहरी निकाय विभाग मुख्यालय को करीब से जानने वालों का कहना है कि कंपनी को प्रति माह जितना भुगतान किया जाता है और कंपनी घर घर से कमाती है उसका बहुत छोटा अंश ही जुर्माना लगाया गया है, यह वसूला भी जाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। अखबारों में खबर छपवा कर जुर्माना लगाने का संदेश जनता को दे दिया गया यह बहुत है। इनके मुताबिक मोदी-खट्टर सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होने के कारण ईकोग्रीन के फ्लॉप होने पर सरकारों के झूठ और आडंबर की पोल खुल जाएगी, इसलिए हजारों कमियां और खामियां होने के बावजूद सरकार द्वारा इस कंपनी को ढोया जा रहा है। तैयारी तो यह भी है कि यदि दोबारा खट्टर सरकार नहीं बनी जिसकी प्रबल संभावना है तो चुनाव से कुछ समय पहले सरकार कंपनी का लाइसेंस समाप्त कर उसे भगा देगी ताकि नई सरकार में उसकी फजीहत न हो सके।

खट्टर सरकार अरावली में करवा रही अवैध निर्माण व खनन

पूर्व मेयर की शिकायत के बावजूद खनन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नहीं की कार्रवाई

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। जिस समय प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) एक से लेकर चार तक लागू था, उसी दौरान संरक्षित अरावली वन क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध खनन और पौधों को काट कर बड़े हॉल का निर्माण कराया जा रहा था। सत्ताधारी नेताओं के चहेतों द्वारा किए जा रहे अवैध क्रियाकलाप की शिकायत के बावजूद किसी भी विभाग ने कार्रवाई नहीं की। संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन, भू माफिया और लकड़ी माफिया की मोटी कमाई में नेता अफसरों तक का हिस्सा होने के कारण शिकायतों पर खानापूर्ति की जाती है।

पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना के अनुसार अरावली के अनंगपुर इलाके में कृषि भूमि छोड़ कर बाकी सारी पहाड़ी जमीन पीएलपीए के तहत संरक्षित है। यानी यहां न तो खनन हो सकता है और न ही पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं। उनका आरोप है कि अनंगपुर स्थित महिपाल ग्रीन वैली अब बैंकट लॉन के आसपास बीते लगभग एक माह से जेसीबी लगा कर अवैध खनन किया जा रहा था। जमीन समतल करने के लिए पत्थर खोदे और काटे गए तथा संरक्षित पेड़ भी काट कर जड़ से उखाड़ डाले गए।

वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ा होने के कारण ग्रेप एक से चार तक लागू था लेकिन इस जगह जहां जेसीबी लगाकर अवैध खनन किया जा रहा था वहीं, बहुत बड़े हॉल का निर्माण भी किया जा रहा था। देवेंद्र भड़ाना के अनुसार पीएलपीए संरक्षित क्षेत्र होने के कारण न तो यहां खनन हो सकता है न निर्माण। आरोप है कि यहां से एक माह में करोड़ों रुपये कीमत के पत्थर-बजरी का अवैध खनन कर बेच डाला गया। जमीन समतल करने के लिए कई दर्जन पेड़ काट कर उनकी भी लकड़ी बेच डाली गई। उन्होंने करीब दो सप्ताह पहले इसकी शिकायत खनन विभाग और वन विभाग से की। आरोप है कि दोनों विभागों ने खनन व निर्माण माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए न तो गंभीरता से जांच की और न ही कोई कार्रवाई की। शिकायत करने के तीन दिन बाद उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया। खनन अधिकारी ने उन्हें बताया कि मौके पर अंकित जैन नाम का व्यक्ति मिला था, अंकित का कहना था कि यह कृषि भूमि है, जमीन की सफाई की जा रही है। देवेंद्र का आरोप है कि खनन अधिकारी अंकित जैन की बातों पर यकीन कर लौट गए, उन्होंने पटवारी बुलवाकर जमीन का सत्यापन नहीं किया कि यह पहाड़ है या कृषि भूमि। इसी तरह वन अधिकारी राजकुमार यादव ने भी पेड़ काटे जाने से इनकार करते हुए बताया कि उन्हें मालिक ने सूचना दी थी कि केवल झाड़ियां साफ की गई हैं। आरोप है कि पेड़ और पत्थर-बजरी बेचने से जो कमाई हुई उससे इस जगह एक बड़े हॉल का निर्माण करवाया गया।

महिपाल ग्रीन वैली बैंकट लान के मालिक ज्ञानेंद्र भड़ाना हैं जबकि इसका कारोबार अंकित जैन नाम का व्यक्ति संभालता है। देवेंद्र का यह भी आरोप है के अंकित जैन खुलेआम दावा करता है कि चाहे जहां शिकायत कर लो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे मंत्री-विधायक का संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि जब सारे शहर में निर्माण भी बंद था उस समय अनंगपुर में इस जगह खनन और निर्माण दोनों धड़ल्ले से जारी थे।

खनन और वन विभाग ही नही नगर निगम के 'मुस्तैद' अधिकारियों ने भी कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर के रहमोकरम के जरिए नगर निगम में तोड़फोड़ दस्ता चला रहे जेई प्रवीण बैंसला ने भी इस अवैध निर्माण की अनदेखी की। जाहिर है कि उन्होंने यह अनदेखी मुफ्त में तो नहीं की होगी। निगम कर्मियों में यह आम चर्चा है कि अवैध निर्माण की अनदेखी करने का सुविधा शुल्क कम से कम एक लाख रुपये से शुरू होता है, फिर यह निर्माण तो संरक्षित इलाके में, ग्रेप चार लागू होने के दौरान किया जा रहा था, तो समझा जा सकता है कि इसके लिए कितना मोटा सुविधा शुल्क वसूला गया होगा।

देवेंद्र भड़ाना भी आरोप लगाते हैं के खनन, वन विभाग के अधिकारियों ने पैसा लेकर जानबूझ कर कार्रवाई नहीं की। भाजपा को संस्कारी और भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बताने वाले मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर इस तरह के अवैध खनन और निर्माण की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई करना तो दूर अधिकारियों से जानकारी मांगने की भी जहमत नहीं उठाते। जानकारी भी क्यों मांगे जब उन्हें मालूम है उनकी पार्टी के मंत्री-विधायकों की छत्रछाया में ही ये काम हो रहे हैं, और इन मंत्री-विधायकों को भी सूबा प्रमुख होने के नाते खट्टर का ही संरक्षण प्राप्त है।

रात में करवाया जाता है अवैध खनन

पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना का आरोप है कि खनन और वन विभाग की मिलीभगत से अरावली संरक्षित वन क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र में रात को अवैध खनन कराया जाता है। बताते चलें कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) में शपथपत्र देकर जानकारी दी थी कि फरीदाबाद में 80 स्टोन क्रशर चल रहे हैं। देवेंद्र भड़ाना के आरोप में दम नजर आता है कि इन क्रशरों को पत्थर उपलब्ध कराने के लिए अवैध खनन किया जा रहा है। वह बताते हैं कि रातों रात अवैध खनन कर पत्थर चोरी से ट्रकों पर लाद कर भेजा जाता है, मोटा सुविधा शुल्क मिलने के कारण खनन विभाग इन्हें नहीं पकड़ता। ऊपर से कार्रवाई का बहुत अधिक दबाव आने पर खनन माफिया से अपना एक आध ट्रक पकड़वाने को कहा जाता है। ट्रक को जब्त कर हल्की धाराओं में केस दर्ज कर औपचारिकता पूरी की जाती हैं और माफिया दो दिन बाद ही कोर्ट से जमानत कराके ट्रक छुड़वा लेता है। करोड़ों रुपये महीने का यह खेल इसीलिए चुपचाप धड़ल्ले से खेला जाता है, इसमें सत्ता-नेता, अफसर, पार्टी कार्यकर्ता सभी का लंबा चौड़ा गठजोड़ है, यही कारण है कि आम आदमी चाहे जितना शिकायत करे, कार्रवाई नहीं होती।